न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –175 / 2024

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024 / 208

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामनारायण पुत्र नत्थुराम,जाति–जाट निवासी–मालगांव, तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री श्रवण बिडीयासर।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: **निर्णय** :: दिनांक :– 24.12.2024

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 43 / 2024 अनवान सरकार बनाम रामनारायण में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.09.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट को दोराने बहस कथन हैं कि अपीलांट के विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार,नागौर के द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जरिये सम्मन तलब किया गया, उक्त कार्यवाही हाजा पटवारी हल्का चूंटीसरा की बनायी गई रिपोर्ट अपीलांट के विरूद्ध मौजा मालगांव के खसरा नम्बर 404, 368 रकबा क्रमशः 0.0890 हैक्टेयर व 0.2023 हैक्टेयर कुल रकबा 0.2913 हैक्टेयर किस्म क्रमशः गैर मुमकिन रास्ता व गैर मुमकिन गोचर भूमि पर संवत 2081 में कब्जा (मूंग की फसल व तारबंदी करके) अतिक्रमण करने का झुठी, आधारहीन, बनावटी, मनमाना, एकतरफा, पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप राजनैतिक द्वेषता रखने वाले प्रभावशाली लोगो के इशारे पर लगाते हुए प्रस्तुत करने पर अमल में लाई गई है तथा सारी की सारी कार्यवाही बिना मौके पर आये, बिना मौका देखे, मौका निरीक्षण किसी भी निष्पक्ष, स्वतंत्र मौतबिर की उपस्थिति में किये, अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व जवाबदेही का समुचित, पर्याप्त व वाजिब अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से अपीलांट को अतिक्रमी होने की पूर्वधारणा पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर की गई। उक्त कार्यवाही के आधार पर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया और अपीलांट के द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया कि मौके पर खसरा नम्बर 404 में कभी भी रास्ता नहीं रहा हैं, मौके पर रास्ते की स्थिति पिछले कई वर्षो से बिल्कुल अलग रही हैं, मौके पर रास्ते पर सडक निर्माण भी तीन बार हो चुका हैं, जो कि राजस्व रेकर्ड से भिन्न स्थिति के अनुसार स्वयं राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का व आरआई के द्वारा बयान भी दिये गये तथा पत्रावली साक्ष्य अप्रार्थी/अपीलांट हेतु नियत की जानी थी तथा दिनांक 30.08.2024 को अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज कर आदेश जेर अपील पारित

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

करते हुए खसरा नम्बर 404 व 368 पर मूंग की फसल को नष्ट कर बेदखल करने का आदेश व 61/—रूपये जुर्माना वसूल करने हेतु आदेश पारित किया गया। जिससे क्षुब्ध होकर हमारे द्वारा यह अपील पेश की गई हैं।

विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाया जाकर यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय जेर अपील पारित करते समय आदेशिका में गैर सायल के अधिवक्ताओ को बार—बार जोर—जोर से आवाज लगाने के बावजूद अनुपस्थित होने का लिखा हैं और दूसरी तरफ गैर सायल के वकीलो के तर्कों का खण्डन राज पैरोकार के द्वारा करने का उल्लेख किया हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गलत आदेशिका दर्ज की गई हैं, जो अपने आप में ही विरोधाभाषी होने से निर्णय जेर अपील इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

विद्वान वकील का यह भी तर्क हैं कि प्रकरण में पटवारी हल्का हजारीराम के द्वारा जो बयान दिये गये, उसमें मेरे द्वारा जिरह करने पर स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि धारा 91 की रिपोर्ट में अप्रार्थी के द्वारा किस स्थान पर अतिक्रमण किया, इसका मुस्तकिल पाइंट से निर्धारण नही किया गया हैं, यह भी स्वीकार किया कि मैं जब मौका देखने गया, तब खेतो का नाप चौप नही किया, संबंधित रास्ते का नाप चौप नही किया, इससे स्पष्ट है कि जब पटवारी के द्वारा मौके पर रास्ते व खेत का नाप चौप ही नही किया है तो ऐसी स्थिति में बिना नाप चौप के और बिना किसी मौका रिपोर्ट के अपीलांट का अतिक्रमण मानने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधिक भूल की है।

जिरह में पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 368 के दक्षिण में खसरा नम्बर 404 स्थित होने के बयान दिये हैं, आगे यह भी कहा है कि खसरा नम्बर 404 वाली सडक अपनी जगह से 80 से 100 फुट उत्तर की तरफ चल रही हैं, इस प्रकार खसरा नम्बर 404 का खसरा नम्बर 368 में होना पटवारी के द्वारा स्वीकार किया गया है तो ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड से भिन्न जगह पर सड़क मौके पर मौजूद होने और उसी पर सडक निर्माण कार्य मौके पर चालू होने के तथ्यो से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा जो कथन किये हैं, वो पूर्णतया सही है और मौके पर खसरान की स्थिति रेकर्ड से भिन्न है तो ऐसी स्थिति में पटवारी के द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही भी पूर्णतया गलत की गई हैं, जिससे भी निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

पटवारी हल्का ने बयानों की जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 10.07.2024 से पहले सीमा ज्ञान करने पर मुझे जानकारी हो गई कि सड़क अपने स्थान पर नही है और इस संबंध में रिपोर्ट उच्चाधिकारियो व कर्मचारियो को प्रस्तुत नहीं करने का कथन स्वीकार भी किया हैं, ऐसी स्थिति में जब मौके पर रास्ते की स्थिति भिन्न चली आ रही है और गोचर की स्थिति भिन्न है तो अपीलांट के विरूद्ध इस प्रकार से अपने समक्ष उपलब्ध दस्तावेजो के विरूद्ध जाकर गलत प्रकार से तंग परेशान करने की नियत से जो कार्यवाही की गई हैं, वो पूर्णतया गलत है तथा इस प्रकार की कार्यवाही से जो निर्णय जेर अपील पारित किया गया हैं वह इस आधार पर भी अपास्त किये जाने योग्य है।

इस प्रकार पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के बयानों से अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई मामला साबित नही था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने साइक्लो स्टाईल आधार पर उक्त निर्णय जेर अपील पारित किया हैं। निर्णय जेर अपील पारित करते समय पटवारी व भू—अभिलेख निरीक्षक के बयानों में मौके की स्थिति के संबंध में जो बयान और कथन

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राज.)

कलक्टर नागौर

प्रकट हुए हैं,उनका कोई निष्कर्ष अपने निर्णय में नहीं दिया हैं। अपीलांट अपनी खातेदारी की भूमि के रकबे से एक इंच भी अधिक भूमि पर काबिज नहीं हैं,बल्कि उसके पत्नी व पुत्र के नाम दर्ज खातेदारी हक अधिकारों की भूमि से कम भूमि पर मौके पर काबिज हैं।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि उक्त प्रकरण में दिनांक 13.08.2024 को आई. एल.आर.,गोगेलाव के द्वारा प्रकरण में दस्तावेज व आवेदन पेश किया,जिसके जबाब के लिए पत्रावली दिनांक 27.08.2024 को तय की गई,जिस तिथि पर अपीलांट के द्वारा जबाब प्रस्तुत किया तब आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.08.2024 नियत की गई और उसके बाद इस प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किये बिना ही दिनांक 30.08.2024 निर्णय जैर अपील पारित किया गया हैं,जो पूर्णतया विधिक प्रकिया का दुरूपयोग हैं। इसलिए निवेदन हैं कि निर्णय जैर अपील निरस्त फरमाय जावें तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ लौटाया जावें कि मौका पर टीम का गठन किया जाकर मुस्तकिल पोंईट का निर्धारण किया जाकर भूमि का नाप चौप अपीलांट की उपस्थिति में किया जावें तथा उसके बाद विधि पूर्वक प्रकरण में निर्णय पारित किया जावें।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ता एवं गै0मु0 गोचर की भूमि पर अतिक्रमण फसल बुवाई की हैं तथा तारबंदी की हैं,जिसकी मौका की जॉच राजस्व कार्मिकों द्वारा की जाकर अपीलांट के विरूद्व प्रकरण न्यायालय तहसीलदार,नागौर के समक्ष पेश करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिपूर्वक अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुवे प्रकरण में निर्णय पारित किया हैं।

राजपेरोकार का यह भी कथन रहा कि विद्वान वकील अपीलांट सीमाज्ञान का बार–बार जिक्र कर रहे तो उनको सीमाज्ञान करवाने के लिए किसने मना किया हैं,चाहे तो सीमाज्ञान करवा सकते हैं। अपीलांट द्वारा रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ता को अवरूद्व किया गया हैं,इसलिए उनके विरूद्व यह सम्पूर्ण कार्यवाही विधि पूर्वक हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

विद्वान वकील अपीलांट का जबाब बहस में कथन था कि श्रीमान् यह देखें कि रास्ता अवरूद्व हैं,क्या? सम्पूर्ण पत्रावली एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भली भांति साबित हैं कि मौके पर रास्ता चालू हैं,उसमें किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपीलाधीन निर्णय पक्षपात् पूर्ण एवं पूर्वग्राह से ग्रसित होने तथा विधि विरूद्व होने से निरस्त फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भू0अभिलेख निरीक्षक,गोगेलाव एवं पटवारी हल्क,चुंटीसरा द्वारा तहसीलदार,नागौर को पेश की गई टी0पी0 रिपोर्ट दिनांक 08.07.2024 का अवलोकन किया गया। जिसमें यह अंकित किया हैं कि ग्राम मालगांव के खसरा नम्बर 404 रकबा 0.0890 हैं0 गै0मु0 रास्ता,खसरा नम्बर 368 रकबा 0.2023 है0 गै0मु0 गोचर कुल रकबा 0.2913 हैं0 भूमि पर रामनारायण पुत्र नत्थुराम,कौम जाट, निवासी–मालगांव द्वारा सम्वत् 2081 में फसल जरिये मूंग व तारबंदी कब्जा,कास्त के नाजायज कब्जा कर लिया हैं। ग्राम मालगांव की जमाबंदी नकल सम्वत् 2077–2077 खाता संख्या 564 के अनुसार खसरा नम्बर 368 रकबा 8.8950 गै0मु0 गोचर दर्ज हैं तथा खाता संख्या 01 में खसरा नम्बर 404 रकबा 2.0234 गै0मु0 रास्ता दर्ज हैं। उपरोक्त राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व कार्मिकों की रिपोर्ट से यह तो पूर्ण रूप से साबित हैं कि खसरा नम्बर 368 गै0मु0 गोचर की भूमि हैं तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 404 की भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता हैं,उक्त दोनों प्रकार की भूमियॉ सार्वजनिक प्रयोजनार्थ

न्यायालय जिला कलेक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

श्रेणी की भूमियाँ हैं तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी साबित हैं कि अपीलांट द्वारा इन दोनों खसरान की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर कास्त एवं तार बंदी की हैं। खसरा नम्बर 368 व 404 की अतिक्रमित भूमि के स्वामित्व सम्बन्धित कोई दस्तावेज अपीलांट द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये हैं एवं न ही इस न्यायालय में पेश किये गये हैं। अब इस प्रकरण में अपीलांट का यह तर्क रहा हैं कि रास्ते की भूमि में आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं हैं एवं रास्ता व सड़क उनके कब्जे की भूमि पर नहीं चल रहे हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह तो साबित हैं कि जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया हैं,वह भूमि राजकीय गै0मु0 रास्ता व गोचर की भूमि हैं। इस सम्बन्ध में न्यायालय का यह भी मत हैं कि रास्ता चाहे खसरा नम्बर 404 की भूमि पर चले या फिर खसरा नम्बर 368 की भूमि पर चालू हैं,उससे अपीलांट को कोई लाभ नहीं मिलने वाला हैं,क्योंकि अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा राजकीय गै0मु0 रास्ता एवं गै0मु0 गोचर की भूमि पर पाया गया हैं। प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान वकील अपीलांट द्वारा न्यायालय का ध्यान पटवारी हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक के अधीनस्थ न्यायालय में करवाये गये बयानों का जिक्र कर यह साबित करने की कोशिश की हैं कि उनके द्वारा रिपोर्ट गलत बनायी गई हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता हैं कि जब राजस्व रेकार्ड से भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता एवं गोचर साबित हैं तो मौखिक बयान कोई महत्व नहीं रखते हैं तथा इस प्रकार की भूमियों पर किये गये किसी अतिक्रमण के अतिक्रमी को न्यायालय द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम माल गांव के खसरा नम्बर 404 रकबा 0.0890 हैं0 किस्म भूमि गै0मु0 रास्ता व खसरा नम्बर 368 रकबा 0.2023 है0 किस्म भूमि गै0मु0 गोचर के सम्बन्ध में अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुवे तहसीलदार,नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.08.2024 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का असल रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित पुनः लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर